

प्रेषक

जिला शिक्षा अधिकारी,  
फरीदाबाद।

सेवा में,

सर्व प्रधानचार्य,  
निजी विद्यालय (सी०बी०एस०ई०)  
आई०सी०एस०ई०/हरियाणा बोर्ड से मान्यता प्राप्त)

जिला फरीदाबाद के अंतर्गत।

यादि क्रमांक SPL-1/2015

दिनांक 25-03-2015

विषय:- विद्यालयों द्वारा अपूर्ण फार्म-VI जमा करवाने बारे।

1. फार्म-VI के अवलोकन पश्चात् यह पाया गया है कि कुछ स्कूलों द्वारा proposed फीस में वृद्धि दिखाई गई है। परन्तु उन स्कूलों द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित सम्बन्धित बोर्ड/विभाग से अनिवार्य एन०ओ०सी० नहीं लगाए गए हैं और नहीं सम्बन्धित अवधि की revenue account तथा balance sheet की प्रति संलग्न है। अतः फार्म-06 अपूर्ण होने के कारण अमान्य है। अतः उन्हें सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ 01.04.2015 तक रिवाईज्ड/फार्म-06 जमा करवाए जाएं।
2. केवल मान्य मदों में ही फीस लेने का प्रावधान रखें व स्मार्ट क्लास/कम्प्यूटर फीस/एक्टीविटी फीस जैसी असामान्य मदों में फीस न ली जाए।
3. एडमिशन फीस/वार्षिक चार्ज केवल नए दाखिले एवं कक्षा पहली, छठी, नौवी तथा ग्यारहवी में ही ली जाए और इसके अतिरिक्त किसी अन्य कक्षा में न ली जाए।
4. नियम 134-ए के अन्तर्गत बच्चों के दाखिले नियमानुसार सुनिश्चित करें।
5. विद्यालय की सभी कक्षाओं में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं हरियाणा शिक्षा कोड के अनुसार केवल एन०सी०ई०आर०टी०/संबन्धित बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तकें ही लगाई जाए।
6. नियमों के अनुसार एक सेक्शन में 40 बच्चों से ज्यादा न बिठाए जाएं।

आपको यह लिखा जाता है कि स्कूलों द्वारा अपने विद्यालयों से ली जाने वाली सत्र 2014-15 की फीस ही मान्य होगी।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
फरीदाबाद